भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 622
22 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई

622. श्री के. राधाकृष्णन:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण को वर्ष 2024 से और आगे बढ़ाया गया है और यदि हां, तो इस पर आने वाला वित्तीय भार कितना है;
(घ) क्या कुछ राज्यों ने आधार सीडिंग संबंधी समस्याओं के कारण पात्र लाभार्थियों के योजना से बाहर होने की सूचना दी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(ड.) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के अंतर्गत सुगम पोर्टबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): जी हां, पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग): केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर लाभार्थियों की पहचान और राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है।

...2/-

केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है ताकि वे एनएफएसए के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान कर सकें। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अपडेट करते रहते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अपात्र लाभार्थियों को हटाना और अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी या परिवार को आधार कार्ड न होने या नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण में विफलता के कारण सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के पात्रता कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।

(घ): राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता को लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के रूप में जाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी आधारित सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ, देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। वर्तमान में, ओएनओआरसी सुविधा देश भर के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, जिससे लगभग 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आज तक, ओएनओआरसी के तहत 221 करोड़ से अधिक (प्रवासी श्रमिकों सहित) सुवाह्यता लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 22.07.2026 को "एनएफएसए एवं पीएमजीकेएवाई" के संबंध में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 622 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक **16.07.2026** तक की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	59,988
2	आंध्र प्रदेश	2,68,23,000
3	अरुणाचल प्रदेश	8,40,762
4	असम	2,48,97,059
5	बिहार	8,23,50,967
6	चंडीगढ़	3,23,214
7	छत्तीसगढ	2,00,77,000
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	2,63,163
9	दिल्ली	72,03,498
10	गोवा	4,31,674
11	गुजरात	3,38,42,935
12	हरियाणा	1,26,49,000
13	हिमाचल प्रदेश	28,40,796
14	जम्मू और कश्मीर	68,28,991
15	झारखंड	2,63,37,662
16	कर्नाटक	4,01,93,000
17	केरल	1,52,89,217
18	लद्दाख	1,11,941
19	लक्षद्वीप	20,053
20	मध्य प्रदेश	5,41,10,413
21	महाराष्ट्र	6,77,23,996
22	मणिपुर	21,09,004
23	मेघालय	21,25,005
24	मिजोरम	7,06,000
25	नागालैंड	11,12,356
26	ओडिशा	3,21,93,059
27	पुदुचेरी	6,34,000
28	पंजाब	1,41,51,000
29	राजस्थान	4,38,43,951
30	सिक्किम	3,76,878
31	तमिलनाडु	3,62,23,350
32	तेलंगाना	1,91,58,121
33	त्रिपुरा	23,37,977
34	उत्तराखंड	60,05,973
35	उत्तर प्रदेश	14,66,97,109
36	पश्चिम बंगाल	6,00,05,245
	कुल	79,08,97,357
